Ph.No. 0151 - 2543419 (O),
2549348 (Fax)
2240380 (Res.)
09414138211 (M)
Email: vcrajuvas@gmail.com

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Prof. A.K. Gahlot
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या *59/2014*

श्री प्रदीप सोनी .....अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर ..... उत्तरदाता

उपस्थितिः–

(1) अपीलार्थी– श्री धर्मेन्द्र शर्मा (प्रतिनिधि)
उपस्थित।

(2) उत्तरदाता– डॉ. राकेश राव, कुलसचिव,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
(उपस्थित)

(i) अपील प्रस्तुती दिनांकः 30.09.2014
(ii) निर्णय दिनांक : 30.10.2014

निर्णय

अपीलार्थी प्रदीप सोनी द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2014 प्रेषित कर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचनाएं उपलब्ध करवाने का निवेदन किया। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर ने पत्र क्रमांक एफ. (461)राजूवास/रजि./आरटीआई/2014/305 दिनांक 02.09.2014 प्रेषित कर अपीलार्थी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 04.08.2014 का निस्तारण किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रेषित प्रत्युतर का विवरण निम्नानुसार है :–

S. No	Desired information	Answer
1	How many applicant are NET selected in the reruitnis of the post of A.P. in V-Micro Bio.	As per recruitment advertisement, at the time of submission of application form Net Certificate was not required to be upload. Therefore, it is not possible to provide information required by you.

लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर दिनांक 02.09.2014 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 18.10.2014 से

29.10.2014 तक विश्वविद्यालय में दीपावली अवकाश होने के कारण दिनांक 30.10.2014 सुनवाई हेतु निर्धारित की गयी। अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 335 दिनांक 13.10.2014 प्रेषित कर सुनवाई दिनांक की जानकारी प्रेषित की गयी तथा अपीलार्थी को व्यक्तिशः उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का भी विकल्प दिया गया। अपीलार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र शर्मा उपस्थित हुए। अपीलार्थी द्वारा प्रेषित लिखित अधिकार पत्र के आधार पर प्रतिनिधि श्री धर्मेन्द्र शर्मा, एडवोकेट को बतौर प्रतिनिधि पैरवी हेतु अनुमति दी गई।

श्री धर्मेन्द्र शर्मा द्वारा दौरान बहस तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदन पत्र में NET Qualified होने का कॉलम था अतः विभाग के पास सूचना उपलब्ध है इस कारण सूचना उपलब्ध करवानी चाहिए। श्री शर्मा द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वांछित सूचना गोपनीय श्रेणी की सूचना नहीं है तथा जो रिकॉर्ड में उपलब्ध है उसकी सूचना उपलब्ध करवाई जानी चाहिये। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर विधि विरूद्ध है। श्री शर्मा द्वारा बहस के दौरान इसी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दूसरी अपील जो कि अपील संख्या 58/2014 के रूप में रजिस्टर्ड की गई है, में चाही गई सूचना का उल्लेख करने का प्रयास करने पर लोक सूचना अधिकारी डॉ. राव द्वारा आपत्ति की गई कि अपील संख्या 59/2014 में अपील संख्या 58/2014 के तथ्यों का विवेचन नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों प्रकरण भिन्न है इसके अलावा श्री शर्मा को केवल अपील सं. 59/2014 के लिए ही पैरवी हेतु अधिकृत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रेषित अधिकार पत्र में अपील सं. 59/2014 के लिए ही अधिकृत किए जाने के कारण श्री शर्मा को पाबंद किया गया कि विवाद्यक की हद तक ही तर्क प्रस्तुत करें।

इसके विपरीत डॉ. राकेश राव, लोक सूचना अधिकारी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदन पत्र में Net Qualified का कॉलम अवश्य था लेकिन आवेदन पत्र Online ही भरे जाने की व्यवस्था थी तथा अभ्यर्थी द्वारा कॉलम में अंकित सूचना के आधार पर ही वांछित सूचना की छंटनी की जा सकती थी बिना छंटनी के किए सूचना संग्रहित नहीं हो सकती। Online आवेदन पत्र भरे जाने के समय आवेदन पत्र के कॉलम में अंकित सूचनाओं की पुष्टि में आवेदन के समय अभ्यर्थी को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने थे अतः बिना दस्तावेजी साक्ष्य के केवल आवेदक द्वारा कॉलम में अंकित हां या नहीं के आधार पर ही सूचना संकलित की जा सकती थी जिसे कि प्रमाणिक सूचना नहीं माना जा सकता। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में Net Qualified आवेदको की पृथक से कोई सूची भी नहीं तैयार की गई अतः वांछित सूचना के संबंध में पृथक से अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा अपीलार्थी ने भी अपील में यह स्वीकार किया है कि आवेदन पत्र से देखकर उसके द्वारा चाही गयी सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती थी अर्थात् अपीलार्थी ने स्वयं स्वीकार किया है सूचना सृजित की जा सकती थी जबकि सूचना सृजित करने हेतु लोक सूचना अधिकारी उतरदायी नहीं होता अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाने योग्य है। इस पर अधिवक्ता श्री शर्मा द्वारा यह तर्क दिया गया कि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा विषयवार नियुक्तियां दी जा चुकी है अतः नियुक्ति दिए गए अभ्यर्थियों में से Net Qualified की संख्या ही उपलब्ध करवा दी जावे। इसके विपरीत लोक सूचना अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से Applicants के संबंध में सूचना चाही गई है अतः अब अपील में Selected अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना की मॉग नहीं की जा सकती। अपीलार्थी की अपील विवाद्यक की हद तक सुनी जा सकती है। अपीलार्थी द्वारा अपील में नए तथ्य नहीं उठाए जा सकते।

मैनें उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना

द्वारा अपील प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि आवेदन पत्र के कॉलम में अंकित सूचनाओं के आधार पर वांछित सूचना आसानी से उपलब्ध करवाई जा सकती है तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा भी यह कथन किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में Net Qualified आवेदकों की पृथक् से कोई सूची नहीं बनायी गयी अर्थात् वांछित सूचना विश्वविद्यालय अभिलेख का भाग तो थी लेकिन अभिलेखों में से बिना छंटनी किए उपलब्ध करवाई जानी संभव नहीं थी। छंटनी के द्वारा सूचना सृजित कर अपीलार्थी को उपलब्ध करवायी जा सकती थी।

इसके अलावा लोक सूचना अधिकारी के इस तर्क का अपीलार्थी के अभ्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा कोई विरोध भी नहीं किया गया कि आवेदन पत्र के कॉलम में अंकित प्रविष्टियों की पुष्टि में अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेजों की प्रतियां सलंग्न नहीं की जानी थी अर्थात् आवेदन पत्र के कॉलमों में अंकित प्रविष्ठियों के आधार पर सूचना तैयार की जा सकती थी लेकिन इसकी पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य तत्समय आवेदक द्वारा सलंग्न नहीं किया जाना था अतः बिना दस्तावेजों की पुष्टि के केवल कॉलम में आवेदक द्वारा अंकित हां या नहीं के आधार पर प्रमाणिक सूचना नहीं उपलब्ध करवायी जा सकती। इसके अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी के इस तर्क का अपीलार्थी की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में Net Qualified आवेदकों की पृथक से कोई सूची विश्वविद्यालय द्वारा तैयार नहीं की गयी। अतः जो सूचना अभिलेख में उपलब्ध नहीं है अथवा जिसे अभिलेख से छांटकर सृजित करना पड़े सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (f) के अन्तर्गत सूचना की परिभाषा अनुसार "सूचना" नहीं माना जा सकता। अतः उत्तरदाता लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर दिनांक 02.09.2014 पूर्णतः विधि सम्मत् है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन एवं आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभय पक्षों को प्रेषित की जावे।

(ए.के. गहलोत)
कुलपति एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
राजूवास, बीकानेर

Registrar
Rajasthan University of
Veterinary And Animal Sciences
BIKANER